न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01 / 2016

अनवान

1 रघुवीर सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 भीम सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 गिरधर सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 पारस कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 पप्पू कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 रामसिंह पिता स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8 मुन्नी कंवर पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9 किस्मत कंवर पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10 श्रीमति प्रेम कवंर पत्नि स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

1 श्रीमति रामकंवर पत्नि स्व0 श्री गणपत सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
3 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
4 उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, बनेडा जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्ण चन्द्र देराश्री वकील वादी**
श्री कृष्ण कुमार जीनगर वकील प्रतिवादीया संख्या 01

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 412 के आराजी संख्या 1468 रकबा 06–13 बीघा वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बल्दरखा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2016

अनवान

1 रघुवीर सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 भीम सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 गिरधर सिंह पिता स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 पारस कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 पप्पू कंवर पुत्री स्व0 श्री कजोड सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 रामसिंह पिता स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8 मुन्नी कंवर पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9 किस्मत कंवर पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10 श्रीमति प्रेम कवंर पत्नि स्व0 श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... **वादीगण**

बनाम

1 श्रीमति रामकंवर पत्नि स्व0 श्री गणपत सिंह राजपूत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
3 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
4 उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, बनेडा जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कष्ण चन्द्र देराश्री वकील वादी**
श्री कृष्ण कुमार जीनगर वकील प्रतिवादीया संख्या 01

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1468 रकबा 06–13 बीघा आराजी संख्या 1469 रकबा 01–14 बीघा, आराजी संख्या 1470 रकबा 04–18 बीघा स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खाता संख्या 145 के आराजी संख्या 395 रकबा 15–16 बीघा थे जो वादीगण के पिता व स्वसुर व दादा कजोड सिंह पुत्र खाजु व गणपत सिंह पिता बलवन्त सिंह राजपूत के नाम पर जमाबन्दी संवत 2018–2021 में दर्ज रेकार्ड थी। सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजीयात के नवीन नम्बरान कायम हुए जिसके आपसी विभाजन से आराजी संख्या 1468 रकबा 06–13 बीघा वादीगण के पिता, स्वसुर व दादा कजोड सिंह के हक हिस्से में रही, जिस पर वादीगण के पूर्वज काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी संख्या 1469, 1470 गणपत सिंह के हक हिस्से में रही। जिसको गणपत सिंह द्वारा नारायण सिंह, बुद्ध सिंह पिता मकन सिंह को बैचान कर दिया गया। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश आराजीं संख्या 1468 रकबा 06–13 बीघा वादीगण के हक हिस्से की होकर वीदगण के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। अतः आराजी संख्या 1468 रकबा 06–13 बीघा गलत तौर पर प्रतिवादीया संख्या 01 के नाम पर दर्ज हुई है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 01.04.2016 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प बल्दरखा में दिनांक 08.05.2017 के लिए पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान उभयपक्ष को जरिये सूचनापत्र तलब किया गया। केम्प के दौरान ही विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की। शेष प्रतिवादीगण वक्त केम्प अनुपस्थित। इसके अतिरिक्त प्रकरण को अंन्तिम निपटारे के लिए उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रपत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया।

3. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा वादपत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादीगण का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 412 के आराजी संख्या 1468 रकबा 06—13 बीघा वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)